निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 16 पटना, बुधवार, 29 चैत्र 1939 (श0) / 19 अप्रील 2017 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	4-4
पूरक	---
पूरक-क	5-15

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
28 फरवरी 2017

सं० 1/एल1–10–08/2015 गृ0आ0–**1766**—श्री डी0 अमरकेश, भा0पु0से0 (2013), सहायक पुलिस अधीक्षक–सह–अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी को अपने घर पर आवश्यक कार्यवश हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2017 से 23.02.2017 तक कुल 20 (बीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री अमरकेश के अवकाश अवधि में पुलिस उपाधीक्षक (मु0), सीतामढ़ी को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक पुलिस अधीक्षक–सह–अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी के प्रभार में रहने की स्वीकृति दी जाती है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

3 मार्च 2017

सं० 1/एल01–10–10/2001 गृ0आ0–1884—श्री पी0एन0 राय, भा0पु0से0 (1982), महानिदेशक–सह –महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को निजी कार्यवश संयुक्त राज्य अमेरिका (विदेश) जाने हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2017 से 30.06.2017 तक कुल 30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश एवं दिनांक 01.07.2017 (शनिवार) एवं दिनांक 02.07.2017 (रविवार) का राजपत्रित अवकाश Suffix के रूप में उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

23 मार्च 2017

सं0 1/एल1–10–08/2015 गृ0आ0–2481—विभागीय अधिसूचना सं0–1766, दिनांक 28.02.2017 द्वारा श्री डी0 अमरकेश, भा0पु0से0 (2013), सहायक पुलिस अधीक्षक–सह–अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बेलसंड, सीतामढ़ी को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2017 से 23.02.2017 तक कुल 20 (बीस) दिनों की स्वीकृत उपार्जित अवकाश को रद्द किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

24 मार्च 2017

सं0 1/एल1–10–04/2017 गृ0आ0–2500—श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0पु0से0 (2004), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना को अपनी पुत्री की शादी हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 11.05.2017 से 26.05.2017 तक कुल 16 (सोलह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री सिंह के अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0), बिहार, पटना रहेंगे ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना

अधिसूचना
6 अप्रील 2017

सं० 1/नि0 वि स्था0–44/2016–1442(अनु०)—पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1373 दिनांक 17.02.2017 द्वारा श्री सुनील कुमार सिन्हा, नव प्रोन्नत अधीक्षण अभियंता की सेवा अगले आदेश तक के लिए निगरानी विभाग में सौंपी गयी है। तद्नुसार दिनांक 21.02.2017 को श्री सिन्हा द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद पर योगदान समर्पित किया गया है।

2. उक्त के आलोक में उनके योगदान की तिथि 21.02.2017 के पूर्वाह्न से योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में अधीक्षण अभियंता के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3. इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेश प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 5—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 479— **I**, ABHIGYAN S/O Dhrub Narain Sahu R/O Flat No.-101, Om Nilay Apartment, Khaitan Gali, West Boring Canal Road, Patna declare vide Affidavit no. 312 Dated 03.12.2016 that now on wards I shall be known as Abhigyan Arya for all future purposes.

ABHIGYAN.

No. 486—I, ASHUTOSH KUMAR S/o.Ramdeo Jha, R/o. H.No. B/35, Bank Men's Colony Chitragupta Nagar, Kankarbagh, Patna-20 (Bihar) declare vide Affidavit no. 2839 Dated 27.02.2017 that now onwards I shall be known as Ashutosh kumar Jha for all future purposes.

ASHUTOSH KUMAR.

सं० 486—मैं, आशुतोष कुमार, पिता–श्री रामदेव झा, पता मकान संख्या बी/35, बैंक मेन्स कॉलोनी, चित्रगुप्त नगर, कंकड़बाग, पटना–800020, शपथ पत्र सं० 2839, दिनांक 27.02.2017 से यह घोषणा करता हूँ कि मैं अब से आशुतोष कुमार झा के नाम से जाना जाऊँगा।

आशुतोष कुमार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 5—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 2/सी0–3–301/1997–सा०प्र०–18
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
2 जनवरी 2017

श्री महेन्द्र कुमार भारती (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 129/11, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी–सह–प्रभारी अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कक्षपालों/उच्च कक्षपालों को मनमाने ढंग से स्थानांतरण करने, निर्गत परिपत्रों का उल्लंघन करने, निर्दोष कारा कर्मियों को बिना कारण निलंबित करने, वर्षों से फरार कर्मियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने आदि के आरोप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2/सी0–3–301/1997–सा0प्र0–10157 दिनांक 24.07.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री भारती दिनांक 30.11.2016 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

अतः श्री महेन्द्र कुमार भारती (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 129/11, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी–सह–प्रभारी अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, उप–सचिव।

सं० 2/सी0–3–30273/2002–सा०प्र०–19

संकल्प
2 जनवरी 2017

श्री महेन्द्र कुमार भारती (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 129/11, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी–सह–प्रभारी अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विधायक, श्री राजन तिवारी को नई दिल्ली स्थिति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सोंपरान्त सीधे केन्द्रीय कारा, बक्सर में संसीमित करने के आदेश/नियमों की अवहेलना करते हुए मेडिकल बोर्ड एवं जिला पदाधिकारी, पटना की स्वीकृति के बिना पी0एम0सी0एच0 में भर्ती कराने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 2/सी0–3–30273/2002–सा0प्र0– 15132 दिनांक 07.11.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री भारती दिनांक 30.11.2016 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

अतः श्री महेन्द्र कुमार भारती (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 129/11, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी–सह–प्रभारी अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, उप–सचिव।

———

सं० 2/सी0–1098/2006–सा०प्र०–20

———

संकल्प

2 जनवरी 2017

श्री महेन्द्र कुमार भारती (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 129/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–निर्वाची पदाधिकारी, ठकराहा, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पंचायत निर्वाचन में अवैध एवं मनमाने ढंग से नाम–निर्देशन पत्र अस्वीकृत करने, राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों के विपरीत कार्य करने तथा सरकारी पदाधिकारियों के कर्त्तव्यों के प्रतिकूल आचरण बरतने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2/सी0–1098/2006–सा0प्र0–13419 दिनांक 30.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री भारती दिनांक 30.11.2016 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

अतः श्री महेन्द्र कुमार भारती (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 129/11, तत्कालीन तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–निर्वाची पदाधिकारी, ठकराहा, बेतिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, उप–सचिव।

———

सं० 2/सी0–10151/2006–सा०प्र०–65

———

संकल्प

2 जनवरी 2017

श्री कमलेश सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 659/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विस्फी, मधुबनी सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के विरूद्ध बाढ़ पुनर्वास इंदिरा आवास एवं सामान्य इंदिरा आवास योजनाओं के तहत् आवास आवंटन एवं लाभार्थियों के चयन में अनियमितता बरतने के आरोपों के लिए ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 4837 दिनांक 05.06.2007 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1445 दिनांक 11.07.2006 द्वारा प्राप्त पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 6531 दिनांक 07.07.2009 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री सिंह के पत्रांक 770 दिनांक 21.08.2009 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 11101 दिनांक 11.11.2009 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1395 दिनांक 26.05.2010 द्वारा प्राप्त मंतव्य के सम्यक विचारोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9712 दिनांक 29.09.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 69 दिनांक 20.01.2011 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध आरोप संख्या–01 एवं 02 के संबंध में प्रतिवेदित है कि इनका स्पष्टीकरण आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है एवं आरोप संख्या–03 के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

श्री सिंह को विभागीय पत्रांक 5527 दिनांक 17.05.2011 द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री सिंह के पत्रांक 01 दिनांक 20.06.2011 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित स्पष्टीकरण, जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ''तीन वेतनवृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं देय प्रोन्नति की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक'' का दंड विनिश्चित किया गया। श्री सिंह के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 11150 दिनांक 29.09.2011 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श हेतु पत्र प्रेषित किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2091 दिनांक 21.11.2011 द्वारा अभिमत दिया गया कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित दंड अनुपातिक नहीं है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृति के पाये जाने तथा जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत से असहमत होते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14247 दिनांक 28.12.2011 द्वारा विनिश्चित दंड (i) तीन वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (ii) देय प्रोन्नति की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड संसूचित किया गया।

संसूचित दंड के आलोक में श्री सिंह के पत्रांक 433 दिनांक 15.02.2012 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समर्पित अभ्योवदन के सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9451 दिनांक 03.04.2012 द्वारा इसे अस्वीकृत करते हुए संकल्प ज्ञापांक 14247 दिनांक 28.12.2011 द्वारा श्री सिंह को (i) तीन वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (ii) देय प्रोन्नति की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक के दण्ड को पूर्ववत बरकरार रखा गया।

श्री सिंह द्वारा संसूचित दण्ड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 6683/2013 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2016 को पारित न्यायादेश निम्नवत् है :–

"As one of the two charges is not found to be proved and the other only partially proved, the matter is remitted to the disciplinary authority for fresh consideration of quantum of punishment in light of observations made above.

The writ petition is thus allowed to the extent indicated above."

माननीय न्यायालय द्वारा उपर्युक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध ''तीन वेतनवृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं देय प्रोन्नति की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक'' के दंड पर सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध इंदिरा आवास योजना के तहत मात्र एक व्यक्ति को गलत ढ़ंग से चयनित करने का आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है तथा इस मामले में राशि की वसूली की कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी है। अतः आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड अधिरोपित किया जाने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कमलेश सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 659/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विस्फी, मधुबनी सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14247 दिनांक 28.12.2011 द्वारा अधिरोपित दंड ''(i) तीन वेतनवृद्धियां संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (ii) देय प्रोन्नति की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक'' के दंड को निरस्त करते हुए आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, उप–सचिव।

सं० 2/आरोप–01–58/2014–सा०प्र०–231

संकल्प

11 जनवरी 2017

श्री फैयाज अख्तर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 887/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, कटिहार के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 3496 दिनांक 29.04.2015 के माध्यम से बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल कॉरपोरेशन लि0, पटना के पत्रांक 10061 दिनांक 17.09.2014 द्वारा प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा के पदस्थापन अवधि में अधिप्राप्ति धान को क्षतिग्रस्त कराने, निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, जनहित–निगमहित के विरूद्ध कार्य करने तथा अपने कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने एवं आवंटित कार्यों के सम्पादन में लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों के लिए आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. श्री अख्तर के विरूद्ध गठित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 7478 दिनांक 21.05.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो अनेक स्मारों के बावजूद सम्प्रति अप्राप्त है।

3. जिला पदाधिकारी, सहरसा के प्रतिवेदन एवं बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल कॉरपोरेशन लि0, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि श्री अख्तर द्वारा अधिप्राप्ति धान को क्षतिग्रस्त कराने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने तथा निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के विचारोपरान्त श्री फैयाज अख्तर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 887/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सहरसा सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, कटिहार के विरूद्ध अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की

जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है, जिसमें आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. जिला पदाधिकारी, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित करेगें।

6. श्री फैयाज अख्तर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 887/11 को निदेश दिया जाता है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, उप–सचिव।

सं० 2/अभि0–304/2008 –सा0प्र0–**330**

संकल्प
12 जनवरी 2017

श्री महर्षि राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 303/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, नवादा के विरूद्ध निगरानी विभाग के पत्रांक 84/अप0सा0 दिनांक 21.01.2008 द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 118/2007 दिनांक 15.10.2007 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गयी जाँच में बी0पी0एल0 के गेहूँ के कालाबाजारी रोकने में इनकी भूमिका संदेहास्पद पायी गयी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जाँच प्रतिवेदन में पाये गये तथ्यों के आलोक में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक 4978 दिनांक 09.12.2009 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। निगरानी विभाग के पत्रांक 84 दिनांक 21.01.2008 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया।

श्री महर्षि राम के विरूद्ध आरोप है कि श्री राम कुमार सिंह परिवादी द्वारा नालिस वाद संख्या 14/06 एवं ग्रामीणों की मद्द से 38 बोरा बी0पी0एल0 गेहूँ टाटा 407 पर लदा हुआ पकड़े जाने के बावजूद स्थानीय डीलर एवं मुखिया द्वारा कालाबाजारी में खरीदार राधेश्याम साव एवं भोला साव के हाथों बेचा गया। तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में मुखिया चन्द्रकिशोर सिंह के विरूद्ध स्पष्ट साक्ष्य रहने के बावजूद उनका नाम नहीं दिया गया एवं जाँच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों की अनदेखी की गयी। स्पष्ट है कि श्री राम द्वारा भ्रष्ट मुखिया, डीलर आदि आरोपितों को आपराधिक षड़यंत्र के तहत बचाने का प्रयास किया गया।

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक 3552 दिनांक 09.12.2013 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त थाना कांड संख्या में श्री राम के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या 19/2010 दिनांक 19.02.2010 द्वारा माननीय न्यायालय में आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है।

उक्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए श्री राम के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4413 दिनांक 01.04.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 838 दिनांक 02.03.2015 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध तीनों आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक 6817 दिनांक 12.05.2015 द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम से अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री राम के पत्रांक 610 दिनांक 20.06.2015 अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, निगरानी विभाग द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन, समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि श्री राम द्वारा प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गायघाट के पत्रांक 21 दिनांक 17.01.2004 में कालाबाजारी में बेचे गये 38 बोरा बी0पी0एल0 गेहूँ को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था। उक्त जाँच प्रतिवेदन में खाद्यान्न बिक्री करने वाले जनवितरण प्रणाली विक्रेता, नन्दकिशोर सिंह का नाम स्पष्ट रूप से अंकित था, लेकिन ग्रामीण की शिकायत एवं जप्त किये गये खाद्यान्न के आलोक में संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता के भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं उपभोक्ता का बयान लिये जाने के संबंध में कोई प्रतिवेदन अंकित नहीं किया गया।

प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गायघाट के पत्रांक 29 दिनांक 24.01.2004 द्वारा दर्ज प्राथमिकी से स्पष्ट है कि दिनांक 17.01.2004 को खाद्यान्न जप्त किया गया था लेकिन भंडार पंजी एवं वितरण पंजी आदि की जाँच नहीं की गयी तथा अविलम्ब प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कराया गया। खाद्यान जप्ति के सात दिनों के उपरान्त प्राथमिकी दर्ज की गयी। प्राथमिकी के अनुलग्नकों से स्पष्ट है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के भण्डार का भौतिक

सत्यापन प्रतिवेदन, भंडार पंजी एवं वितरण पंजी के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया एवं टाटा 407 वाहन जिसपर खाद्यान्न लदा हुआ था उस वाहन को भी छोड़ दिया गया।

स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी होने के नाते अनुमंडलीय क्षेत्राधीन बी0पी0एल0 खाद्याान की कालाबजारी पर रोक लगाने हेतु श्री राम द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गयी एवं अपने पदीय कर्त्तव्यों एवं दायित्वों को निर्वहन नहीं किया गया मात्र प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दे दिये जाने से उनका दायित्व पूर्ण नहीं हो जाता है। यदि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जप्त खाद्यान्न के संबंध में विभागीय निदेश के अनुरूप अन्य जाँच नहीं किये गये तो इसकी विधि सम्मत जाँच कराकर पूरक प्राथमिकी दर्ज किया जाना चाहिए था, जो श्री राम द्वारा नहीं किया गया। यदि प्राथमिकी में किसी तथ्य को छोड़ दिया गया हो तो उन तथ्यों को शामिल करते हुए पूरक प्राथमिकी दर्ज कराया जाना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों की प्रकृति को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (समय समय पर संशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9478 दिनांक 06.07.2016 द्वारा ***''असंचयात्मक प्रभाव (non-cumulative effect) से दो वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड''*** दिया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री राम दिनांक 30.09.2017 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री महर्षि राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 303/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (समय समय पर संशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9478 दिनांक 06.07.2016 द्वारा ***''असंचयात्मक प्रभाव (non-cumulative effect) से दो वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड''*** को संशोधित करते हुए ***''एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में एक प्रक्रम पर अवनति का दंड''*** अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, उप–सचिव।

सं० 2/सी0–3–3049/2003–सा0प्र0–**1183**

संकल्प
31 जनवरी 2017

श्री अशोक कुमार पाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 296/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू सम्प्रति विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के पद पर रहते हुए सक्षम प्राधिकार से 15 जलधारा कूप की स्वीकृति प्राप्त किये बिना अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कूप की स्वीकृति प्रदान करने, एकरारनामा करने, कार्यादेश निर्गत करने एवं सरकारी राशि का दुरूपयोग करने के प्रतिवेदित आरोप के लिए आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित किया गया।

2. प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में श्री पाल से विभागीय पत्रांक 5845 दिनांक 19.08.2003 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्पश्चात् पत्रांक 945 दिनांक 04.02.2004 तथा पत्रांक 9719 दिनांक 08.11.2004 द्वारा स्मारित भी किया गया, किन्तु श्री पाल द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 18243 दिनांक 28.11.2013 द्वारा उपर्युक्त आरोपों के लिए श्री पाल के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 1053 दिनांक 18.08.2016 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या–1 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या–2 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। आरोप संख्या–1 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष निम्नवत् है :–

''श्री अशोक कुमार पाल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर सम्प्रति विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के 15 जलधारा कूप की स्वीकृति देना अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया कार्य है, जो अवैध है। लाभुकों का बिना परीक्षण किये राशि वितरित किया गया, जो वित्तीय अनियमितता है।''

5. विभागीय पत्रांक 12289 दिनांक 08.09.2016 द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए श्री पाल से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त निदेश के आलोक में श्री पाल के द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 30.09.2016 समर्पित किया गया।

उपर्युक्त अभ्यावेदन में श्री पाल द्वारा कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य अभिलेख तथा उनके द्वारा समर्पित लिखित पक्ष की समीक्षा की गयी है, जिसमें उनके द्वारा समर्पित लिखित पक्ष (बचाव बयान) का उल्लेख किया गया है कि पूर्व की जिलास्तरीय बैठक में वरीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा मौखिक रूप से निदेश दिया गया था कि जलधारा कूल जैसे जनहित योजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा कराना है और लाभुकों का चयन करते हुए सूची भेजकर कार्य प्रारम्भ करा दें ताकि वित्तीय वर्ष में योजना पूर्ण हो सके। उक्त लिखित पक्ष के संबंध में विवेचना के दौरान संचालन पदाधिकारी ने कहा है कि उनके द्वारा उक्त कथन के संबंध में साक्ष्य के रूप में कोई अभिलेख यथा बैठक की कार्यवाही आदि संलग्न नहीं किया गया है। इसके अलावा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई कूप संबंधित आवेदन पत्र के विहित स्थान पर अंचल अधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर भी नहीं है और निर्गत कार्यादेश का ज्ञापांक, दिनांक तथा कार्यादेश में योजना संख्या भी अंकित नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि लाभुकों का परीक्षण किये बिना ही राशि उपलब्ध करायी गयी है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपर्युक्त विवेचना के आधार पर उनके विरूद्ध गठित आरोप संख्या–1 को प्रमाणित किया गया। अतः न्यायहित में उनके उक्त लिखित पक्ष के समर्थन में साक्ष्य के रूप में संबंधित जिलास्तरीय बैठक की कार्यवाही से संबंधित अभिलेख को प्रस्तुत करना अत्यावश्यक है। श्री पाल के द्वारा माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 1996 का जिलास्तरीय प्रखंड विकास पदाधिकारीगण की मासिक बैठकों की कार्यवाही से संबंधित अभिलेख प्रदान करने हेतु निदेश संबंधित विभाग/जिला को देने का अनुरोध किया गया, ताकि वे संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप संख्या–1 के संबंध में अपना अभ्यावेदन पूर्णरूपेण सही ढंग से समर्पित कर सकें।

7. प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री पाल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि श्री पाल के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को समर्पित लिखित पक्ष की कंडिका–2 में उल्लेख किया गया है कि–प्रपत्र 'क' में गठित आरोप की कंडिका–1 के संबंध में कहना है कि सरकार से प्राप्त जिला की लक्ष्यों को प्रखंडों की जनसंख्या के आलोक में निर्धारित कर संसूचित किया जाता है, जिसके आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभुकों का चयन कर सूची स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त को भेजा जाता था तथा इसी सूची की स्वीकृति प्राप्त होती थी। प्रश्नगत जलधारा कूपों की सूची स्वीकृति हेतु प्रखंड कार्यालय के पत्रांक 896 दिनांक 31.12.1996 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्दर भेजा गया था। चूँकि भेजी गयी सूची का ही स्वीकृति प्राप्त होती थी इसलिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में संबंधित लाभार्थियों के अभिलेख खोलने, एकरारनामा करने एवं कार्यादेश निर्गत किया गया था तथा कुल छः लाभुकों को पाँच–पाँच हजार रू0 चेक द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात् वहां से आरोपी की स्थानान्तरण होने पर दिनांक 13.01.1997 को अपना पदभार सौंपकर स्थानान्तरण स्थान पर प्रभार ग्रहण किया गया। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व की जिलास्तरीय बैठक में वरीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा मौखिक रूप से निदेश दिया गया था कि जलधारा कूप जैसे जनहित योजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा कराना है और लाभुकों का चयन करते हुए सूची भेजकर कार्य प्रारंभ करा दें ताकि वित्तीय वर्ष में योजना पूर्ण हो सके। चूँकि संबंधित वित्तीय वर्ष का समापन में मात्र तीन माह की अवधि बची हुई थी, जिसमें प्रश्नगत योजना का कार्य पूर्ण कराना था। ऐसी परिस्थिति में वरीय सक्षम पदाधिकारी के उपरोक्त मौखिक दिशा–निर्देश के आलोक में स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य कराने का आदेश दिया गया। इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी। इसके मात्र एक सप्ताह बाद उनका स्थानान्तरण हो गया। इस प्रकार गठित आरोप की कंडिका–1 में उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप गलत है।

श्री पाल के उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि श्री पाल के द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि पूर्व की जिलास्तरीय बैठक में वरीय सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिये गये मौखिक निदेश के आलोक में उनके द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन श्री पाल के द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। यदि श्री पाल के द्वारा जिला पदाधिकारी के मौखिक निदेश पर उनकी स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य कराया गया था तो वैसी स्थिति में प्रभार परित्याग करने के पूर्व जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/सक्षम प्राधिकार से जलधारा कूप निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया है।

7. वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री पाल के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत ***''एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में एक निम्नतर प्रक्रम पर अवनति''*** का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार पाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 296/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू सम्प्रति विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः–

(i) एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में एक निम्नतर प्रक्रम पर अवनति।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति अनुबंध की प्रति सभी संबंधित को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, उप–सचिव।

सं० 2 / सी0–10188 / 2008 –सा0प्र0– **1786**

संकल्प

15 फरवरी 2017

मो0 कासिम अंसारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 494 / 11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज, सिवान के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2 / सी0–10188 / 2008 –सा0प्र0–13608 दिनांक 29.09.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

उल्लेखनीय है कि मो0 अंसारी दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतः मो0 कासिम अंसारी (बि0प्र0से0), सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, उप–सचिव।

सं० 2 / अभि०–03–16 / 2013–सा0प्र0–**1807**

संकल्प

15 फरवरी 2017

विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2 / अभि0–03–16 / 2013–सा0प्र0–3936 दिनांक 14.03.2016 द्वारा श्री अशोक कुमार पाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 296 / 11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसौनी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी। श्री पाल दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही अभी तक प्रक्रियाधीन है।

अतः श्री अशोक कुमार पाल (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 296 / 11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसौनी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, उप–सचिव।

सं० 2 / नि0था0–11–03 / 2016–सा0प्र0–**2109**

संकल्प

21 फरवरी 2017

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2569 दिनांक 03.11.2016 द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 116 / 2016 दिनाक 28.10.2016 धारा–7 / 8 / 13 (2)–सह–पठित धारा–13 (1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 के तहत श्री गुलाम मुस्तफा अंसारी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 929 / 11, अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी को प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने एवं दिनांक 27.10.2016 को श्री अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में शहीद खुदिराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर भेजे जाने की सूचना प्राप्त हुई।

प्रासंगिक मामले पर समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–9(1)(क) एवं (ग) के प्रावधानों के तहत् श्री अंसारी को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15674 दिनांक 23.11.2016 द्वारा उन्हें गिरफ्तार किये जाने की तिथि 27.10.2016 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया।

2. श्री अंसारी द्वारा जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक 23.01.2017 को पूर्वाह्न में सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान समर्पित किया गया।

3. निलंबन अवधि में श्री अंसारी का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री अंसारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–10 के तहत् अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, उप–सचिव।

सं० 2/आरोप–01–21/2014–सा0प्र0–**2285(A)**

संकल्प

21 फरवरी 2017

श्री अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 891/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बक्सर के पत्रांक 01–002 (मु0)/स्था0 दिनांक 16.01.2014 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रपत्र 'क' में निगरानी थाना कांड संख्या 038/2008 दिनांक 27.06.2008 के प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागीय कार्रवाई के निष्पादनोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन में दोषमुक्त बताते हुए विभागीय कार्रवाई समाप्त करने की अनुशंसा करने का आरोप प्रतिवेदित है। विभागीय पत्रांक 12274 दिनांक 03.09.2014 द्वारा श्री कुमार को प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित उपलब्ध कराते हुए उक्त आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के द्वारा उक्त निदेश के आलोक में स्पष्टीकरण दिनांक 16.10.2014 समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक 15589 दिनांक 10.12.2014 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी से मंतव्य मांगे जाने पर जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 01–1885/स्था0 दिनांक 22.12.2014 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ।

2. प्रतिवेदित आरोप, आरोपित पदाधिकारी का स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर के मंतव्य की समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2235 दिनांक 10.02.2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संयुक्त आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 1687 दिनांक 25.11.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 17542 दिनांक 18.12.2015 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त निदेश के आलोक में श्री कुमार द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 29.02.2016 समर्पित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्नांकित असहमति के बिन्दु निर्धारित किये गये :–

''संचालन पदाधिकारी के रूप में आपके द्वारा केवल आरोपी सरकारी सेवक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के प्रमाणित होने अथवा अप्रमाणित होने के संबंध में निष्कर्ष समर्पित किया जाना चाहिए था, जबकि आपके द्वारा जाँच प्रतिवेदन में विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है, जिसे आपके द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर को समर्पित स्पष्टीकरण में भी स्वीकार किया गया है।''

उपर्युक्त असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 5682 दिनांक 22.04.2016 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग किये जाने पर श्री कुमार द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 30.05.2016 समर्पित किया गया।

5. प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के संगत प्रावधानों के तहत श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए ***''दो वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं प्रोन्नति की देय तिथि से दो साल तक प्रोन्नति पर रोक''*** के दण्ड का विनिश्चय किया गया।

6. विभागीय पत्रांक 9581 दिनांक 11.07.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श की मांग किये जाने पर आयोग के पत्रांक 2008 दिनांक 03.10.2016 द्वारा विनिश्चित दण्ड पर सहमति संसूचित की गयी।

7. जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक 1076 दिनांक 13.12.2016 द्वारा श्री कुमार की दिनांक 08.08.2016 को मृत्यु होने की सूचना दी गयी।

8. श्री कुमार की मृत्यु हो जाने के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय पत्रांक 3422 दिनांक 28.03.1990 में निहित निदेश के आलोक में स्व0 अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 891/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2235 दिनांक 10.02.2015 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

9. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार स्व0 अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 891/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2235 दिनांक 10.02.2015 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भीम प्रसाद, उप–सचिव।

सं० 2/आरोप–01–07/2017–सा0प्र0–**2292**

संकल्प

24 फरवरी 2017

दिनांक 14.01.2017 को सारण जिला क्षेत्र अवस्थित सबलपुर दियारा में आयोजित पतंगोत्सव के पश्चात् सबलपुर दियारा से गाँधी घाट, पटना यात्रियों को लेकर आ रही नाव के दुर्घटनाग्रस्त होने की जाँच उच्च स्तरीय द्विसदस्यीय जाँच समिति द्वारा की गयी। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री मदन कुमार, कोटि क्रमांक–904/2011, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को गंभीर प्रशासनिक चूक एवं विधि–व्यवस्था में लापरवाही का दोषी पाया गया।

2. उक्त आरोप के लिए श्री मदन कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1) (क) के प्रावधान के तहत् तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, सारण (छपरा) निर्धारित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

सं० 2/ नि0था0–11–02/2016–सा0प्र0–**17445**

संकल्प

30 दिसम्बर 2016

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2174 दिनांक 21.09.2016 द्वारा श्री महर्षि राम (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 303/11, अपर समाहर्त्ता, नवादा को चार लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिनांक 08.09.2016 को न्यायिक हिरासत में (आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना) भेजे जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 087/2016 दिनांक 09.09.2016 दर्ज किये जाने की सूचना के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–9(1)(क) एवं (ग) के प्रावधानों के तहत् श्री राम को गिरफ्तार किये जाने की तिथि दिनांक 08.09.2016 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 13501 दिनांक 03.10.2016 द्वारा निलंबित किया गया।

2. जिला पदाधिकारी, नवादा से श्री राम के विरूद्ध कर्त्तव्यों के निर्वहन में की गयी प्रशासनिक चूक एवं बरती गयी अनियमितता के संबंध में साक्ष्यों सहित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' अप्राप्त रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–9(7) के प्रावधानों के तहत श्री राम के निलंबन अवधि को अगले चार माह के लिए विस्तारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री राम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–10 के तहत् अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

भीम प्रसाद, उप–सचिव।

सं0 ग्रा0वि0-14(द0)मधु0-06/2015/307289-ग्रा0वि0

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

11 अप्रील 2017

श्री आलोक कुमार शर्मा, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी (मधुबनी) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक- 1459/जि0स्था0 दिनांक 08.09.2015 द्वारा निर्वाचन कार्यों में घोर लापरवाही बरतने, कर्त्तव्यहीनता, ई0आर0ओ0 के आदेश की अवहेलना, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के बैठक से अनुपस्थिति, विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराना, मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराना, जिला स्तरीय बिहार विधान-सभा निर्वाचन 2015 के समीक्षात्मक बैठक में अनुपस्थिति आदि आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. श्री शर्मा से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री शर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य (पत्रांक- 2067/जि0स्था0 दिनांक 30.11.2016) की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए प्राप्त कई आरोपों की जाँच बृहद रूप में कराये जाने एवं उनके कृत्य को बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली के विपरीत पाते हुए श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तद्आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम- 17(2) के तहत् इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अनुराग कौशल सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री आलोक कुमार शर्मा, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी (मधुबनी) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु 15 दिनों के अन्दर या जैसा संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
महेन्द्र भगत, उप-सचिव।

VIGILANCE DEPARTMENT
FORM No. I

DECLARATIONS

The 7th April 2017

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**06/2016**-1506— WHEREAS, It is alleged that **Sri Surendra Kumar, the then Food Inspector, Patna Division, Patna S/o Late Nathu Prasad Address : Gitanjali Bhawan, Road No. 8, Ramlakhan Path, P.S. - Kankarbagh, Patna** while holding the post of **Sri Surendra Kumar, the then Food Inspector, Patna Division, Patna** and serving in different capacities in the State of Bihar committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance **Case No. 19/2013 dated 16.04.2013.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of **The Sri Surendra Kumar, the then**

Food Inspector, Patna Division, Patna, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar.
sd/- Illegible, Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 5—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in